सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –28.03.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 03 अभियोगों में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना कोटरा में मु0अ0सं0 14/2020 (वाद संख्या – 47/2020) धारा 302 भादवि बनाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राम कुमार राजपूत ग्राम ऐंधा थाना कोटरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो मय रेप उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 50,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – थाना कोटरा में मु0अ0सं0 15/2020 (वाद संख्या – 54/2020) धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राम कुमार राजपूत ग्राम ऐंधा थाना कोटरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो मय रेप उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय – कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 549/2015 (वाद संख्या – 19/2016) धारा 406/420/467/468/471 भादवि बनाम 1. करूणेश शर्मा पुत्र वीरेन्द्र कुमार शर्मा नि0 पुराना माधव नगर थाना नगर कोतवाली जनपद सहारनपुर 2. रमनदीप सिंह उर्फ सन्नी पुत्र बृजेन्द्र सिंह नि0 सेवक पार्क द्वारिका मोड नई दिल्ली के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय सीजेएम उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. करूणेश शर्मा उपरोक्त 2. रमनदीप सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 06-06 वर्ष का कारावास एवं 14,000-14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।